

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०-92/2016- 281 /कृ०, पटना, दिनांक: 19-01-2018
प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत योजनावार संशोधित उद्व्यय की सम्पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त उद्व्यय की आवश्यकता को आपसी सामंजन द्वारा अतिरिक्त उद्व्यय कर्णांकित किया जा रहा है। संशोधित अतिरिक्त/प्रत्यर्पण उद्व्यय संबंधी योजनावार विवरणी विहित प्रपत्र में निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रू० में)

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्तमान उद्व्यय		प्रत्यर्पण की जा रही राशि		आंतरिक सामंजन/अतिरिक्त उद्व्यय हेतु प्रस्तावित राशि		प्रत्यर्पण/आंतरिक सामंजन/अतिरिक्त उद्व्यय के पश्चात् संशोधित उद्व्यय	
		राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)	7606.57	7959.86	1174.57	431.25	0.00	0.00	6432.00	7528.61
2	National Oilseed and Oil Palm Mission	140.29	176.00	0.00		264.54	431.25	404.83	607.25
3	Sub Mission on Agriculture Extension	4236.53	4802.32	0.00		910.03	0.00	5146.56	4802.32
	Total	11983.39	12938.18	1174.57	431.25	1174.57	431.25	11983.39	12938.18

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकार से कॉलम-9 एवं 10 के अनुरूप योजनावार संशोधित उद्व्यय को सम्पुष्ट करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
19-1-2018
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।